झारखंड में किसानों के लिये ऋण माफी की सीमा बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **झारखंड मंत्रिमंडल** ने **कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने** का निर्णय लिया है, जिसके तहत ऋण की सीमा **50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए** कर दी गई है।

मुख्य बिंदु

- झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया।
- **एक अन्य पहल के तहत राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दिये जाने वाले मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है।**
  - **मानकी और परगनैत** को **6,000 रुपए प्रतिमाह** मानदेय दिया जाएगा, **मुंडा तथा ग्राम प्रधान** को **4,000 रुपए** एवं अन्य पारंपरिक **ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय** दिया जाएगा।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना

- इसे **झारखंड राज्य** सरकार द्वारा **1 फरवरी, 2021** को लॉन्च किया गया था।
- योजना का उद्देश्य **राज्य के किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण के बोझ से मुक्त करना,** फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना, नई फसल के लिये ऋण सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
- ऋण माफी योजना के लाभार्थी के लिये आवश्यक अधिकार निम्नलिखित हैं:
- रैयत किसान जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान जो दूसरे रैयतों की ज़मीन पर कृषि कार्य करते हैं।
- आवेदक अल्पकालीन फसल ऋण धारक होना चाहिये तथा फसल ऋण झारखंड में स्थित योग्य बैंक से जारी होना चाहिये।
- झारखंड राज्य का किसान, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा किसान के पास वैध आधार संख्या, किसान क्रेडिट कार्ड धारक एवं वैध राशन कार्ड धारक होना चाहिये।
- एक ही परिवार से एक ही फसल ऋण रखने वाले सदस्य पात्र होंगे। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-increases-loan-waivers-limit-for-farmers